



जाएगा तथा उयीना की भाँति बनू तमीम भी उसके विषय में यह कहना शुरू कर देंगे कि बनू यर्बूअ की नबिया कुरैश के नबी से उत्तम है क्यूंकि मुहम्मद स. वफ़ात पा गए हैं और सजाह जीवित है।

सजाह अपनी सेना के साथ बनू यर्बूअ की सीमा पर पहुंच कर ठहर गई तथा क़बीले के सरदार मालिक बिन नुवैरा को बुला कर सन्धि तथा मदीने पर हमला करने के लक्ष्य से रुक जाने का सुझाव दिया और कहा कि मदीना पहुंच कर अबू बकर की सेनाओं से मुकाबला करने से अच्छा यह है कि पहले अपने क़बीले के विरोधी दल का सफ़ाया कर दिया जाए।

मालिक के इस सुझाव को पसन्द करते हुए सजाह ने बनू यर्बूअ के अन्य सरदारों को भी सन्धि की दावत दी परन्तु वकीअ के अतिरिक्त किसी ने भी यह दावत स्वीकार नहीं की, इस पर उसने मालिक, वकीअ तथा अपनी सेना को साथ लेकर दूसरे सरदारों पर धावा बोल दिया, घमसान का युद्ध हुआ जिसमें दोनों पक्षों की भारी संख्या का वध हुआ तथा एक ही क़बीले के लोगों ने एक दूसरे को बन्दी बना लिया। कुछ ही समय पश्चात मालिक तथा वकीअ को इस स्त्री का अनुसरण करने की अपनी ग़लती का आभास हुआ तो उन्होंने दूसरे सरदारों से सन्धि कर ली तथा एक दूसरे के बन्दो वापस कर दिए।

अपनी दुष्ट योजना की असफलता पर सजाह ने बनू तमीम से मदीना की ओर कूच किया, वहाँ पहुंच कर औस बिन खुज़ीमा से उसका आमना सामना होकर टकराव हुआ तथा जिसमें उसकी हार हुई। औस ने इस शर्त पर सजाह को वापस जाने दिया कि वह इस बात का पक्का निश्चय करे कि वह मदीना की ओर आगे नहीं बढ़ेगी।

सजाह की सेना के सरदार मदीने जाने के रास्तों को बन्द होता देख कर परेशान हो गए और सजाह से भविष्य की योजना के बारे में पूछा। इसके जवाब में उसने वही के रंग में एक तुक बन्दी से भरी इबारत घड़ कर उनको विश्वास दिलाया कि यदि मदीना जाने के रास्ते बन्द हो गए हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं, तथा यमामा की ओर बढ़ने का आदेश दिया।

सजाह जब अपनी सेना के साथ यमामा पहुंची तो तो मुसैलमा को बड़ी चिंता हुई, उसने सोचा कि यदि वह सजाह की सेना से युद्ध करने में व्यस्त हो गया तो उसकी शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, इस्लाम की सेना उस पर धावा बोल देगी तथा आस पास के क़बील भी उसके आज्ञा पालन का दम भरने से इंकार कर देंगे। यह सोच कर उसने सजाह से सन्धि करने की ठानी। पहले उसे भेंट इत्यादि भेजे, फिर कहला भेजा कि वह स्वयं उससे मिलना चाहता है। उसने मुसैलमा को उपस्थित होने अनुमति दे दी।

**मुसैलमा बन हनीफ़:** के चालीस लोगों के संग सजाह के पास आया, एकांत में बात चीत की, सजाह को पूर्णतः अपने क़ब्जे में लेने तथा अपना अनुयायी बनाने के लिए उसने यह सुझाव पेश किया कि हम दोनों अपनी नबुव्वतों को एकत्र कर लें तथा आपस में पति पत्नी क बन्धन में बन्ध कर एक हो जाएँ, सजाह ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। तीन दिन उसके कैम्प में रहने के बाद यह अपनी सेना में वापस आई तथा अपने साथियों को बताया कि उसने मुसैलमा को हक्क पर पाया है इस लिए उससे शादी कर ली है।

लोगों ने पूछा कि कुछ मेहर भी तय किया, उसने कहा कि मेहर तो निश्चित नहीं किया। उन्होंने सुझाव दिया कि आप वापस जाएँ तथा मेहर निश्चित करके आएँ, क्यूंकि आप जैसे व्यक्तित्व के लिए मेहर के बिना शादी करना उचित नहीं। अतः वह उसके पास वापस गई तथा मुसैलमा को अपनी मांग से अवगत

किया। इस पर मुसैलमा ने उसके लिए इशा तथा फ़जर की नमाज़ों में कमी कर दी तथा वे बन्द कर दीं। इसी प्रकार यह तय पाया कि वह यमामा की ज़मीनों के लगान की आधी आमदनी को सजाह को भेजेगा। तत्पश्चात वह निरन्तर बनू त़ालब में ठहरी रही, तौबा कर ली तथा इस्लाम क़बूल कर लिया, यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआवियः ने भुखमरी वाले साल में उसे उसकी क़ौम के साथ बनू तमीम में भेज दिया जहाँ वह मृत्यु तक मुसलमान होने की अवस्था में रहती रही।

हज़रत अबू बकर रज़ी. ने हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद को आदेश दिया था कि तुलैहल असदी के मामले से निपट कर आप रज़ी. मालिक बिन नुवैरा के मुकाबले के लिए जाँए जो बुताह में ठहरा हुआ था। जब बुताह आए तो वहाँ किसी को भी नहीं पाया, तो आप रज़ी. ने विभिन्न सैन्य दल इधर उधर भेजे तथा उनको निर्देश दिया कि जहाँ पहुंचें वहाँ पहले इस्लाम की दावत दें, जो इसका जवाब न दे उसे बन्दी बना कर ले आएं तथा जो मुकाबला करे उसकी हत्या कर दें। उन्हीं दलों में से एक दल मालिक बिन नुवैरा को जिसके साथ बनू सअलबा बिन यरबू के कुछ आदमी भी थे, बन्दी बनाकर लाया।

एक रिवायत के अनुसार उस रात कड़के की ठंड थी, जब ठंड और अधिक बढ़ने लगी तो हज़रत ख़ालिद रज़ी. ने मनादी का आदेश दिया- مُكْرِمُ دُفْنُوا اَسْرَارُ اَرْثَاتٍ अर्थात् अपने बन्दियों को गर्म करो किन्तु बनू किनाना के मुहावरे में इन शब्दों का अर्थ यह था कि हत्या कर दो। सैनिकों ने इन शब्दों का अर्थ स्थानीय मुहावरे के अनुसार समझते हुए उस सबको मार डाला। हज़रत ख़ालिद रज़ी. बिन वलीद को जब यह शोर सुनाई दिया तो वे अपने खेमे से बाहर आए किन्तु उस समय तक सिपाही उन सब बन्दियों का काम तमाम कर चुके थे, अब क्या हो सकता था। उन्होंने कहा अल्लाह जिस काम को करना चाहता है वह हर हाल में होकर रहता है।

एक अन्य रिवायत के अनुसार हज़रत ख़ालिद रज़ी. ने मालिक बिन नुवैरा को अपने पास बुलवाया, सजाह का साथ देने तथा ज़कात रोकने के बारे में उसको चेतावनी दी तथा उसे कहा कि क्या तुम नहीं जानते, ज़कात नमाज़ की साथी है? उसने कहा कि तुम्हारे साहिब का यही विचार था अर्थात् रसूलुल्लाह के बजाए साहिब या साथी कह कर पुकारा। हज़रत ख़ालिद रज़ी. ने फ़रमाया- क्या वे हमारे साहिब हैं, तुम्हारे साहिब नहीं? फिर आप रज़ी. ने हज़रत ज़रार रज़ीयल्लाहु तआला अन्हु को उसकी गर्दन उड़ाने का आदेश दिया।

इतिहास के कथनानुसार इस विषय में अबू क़तादा रज़ी. ने ख़ालिद रज़ी. से चर्चा की और दोनों के बीच विवाद हुआ और अबू क़तादा रज़ी. हज़रत ख़ालिद रज़ी. से मतभेद करते हुए सेना को छोड़ कर हज़रत अबू बकर रज़ी. के पास चले आए तथा शिकायत की, कि ख़ालिद रज़ी. ने मालिक बिन नुवैरा ही हत्या करवाई है, जबकि वह मुसलमान था। हज़रत अबू बकर रज़ी. अबू क़तादा रज़ी. से इस बात पर अत्यंत नाराज़ हुए कि वे सेना के अमीर हज़रत ख़ालिद रज़ी. की अनुमति के बिना सेना को छोड़ कर मदीना आए हैं तथा उनको वापस जाने का आदेश दिया। तबरी के इतिहास में इसका अधिक विवरण यूँ वर्णित है कि हज़रत उमर रज़ी. ने हज़रत अबू बकर रज़ी. की सेवा में निवेदन किया कि ख़ालिद रज़ी. एक मुसलमान की हत्या का अपराधी है तथा यदि यह बात साबित न हो सके तो इतना तो प्रमाणित है जिससे कि उनको बन्दी बना दिया जाए इस मामले में, कि हत्या तो बहरहाल हुई है। इस मामले में हज़रत उमर रज़ी. ने बड़ा अनुरोध किया।

चूंकि हजरत अबू बकर रजी. अपने कार्यकर्ताओं तथा सैन्य अधिकारियों को कभी बन्दी नहीं बनाते थे, इस लिए उन्होंने फरमाया- ऐ उमर, इस मामले में चुप रहो, खालिद रजी. बिन वलीद से विवेचन करने में ग़लती हुई है, तुम उनके बारे में कदाचित क़छ मत कहो और हजरत अबू बकर रजी. ने मालिक का ख़बूंहा (वह धन राशि जो ग़लती से किसी की हत्या करने के बदले में दी जाती है) अदा कर दिया। हजरत अबू बकर रजी. ने पत्र लिख कर हजरत खालिद रजी. बिन वलीद को आने का कहा, वे आए और उन्होंने इस घटना का पूरा विवरण बयान किया तथा खेद प्रकट किया एवं क्षमा चाही, आप रजी. ने उनकी क्षमा को स्वीकार कर लिया।

शरह मुस्लिम नामक पुस्तक में इमाम नववी रहमुल्लाह फ़रमाते हैं कि हजरत अबू बकर रजी. ने मालिक बिन नुवैरा के बारे में पूरी छान बीन की तथा इस नतीजे पर पहुंचे कि खालिद रजी. बिन वलीद उसकी हत्या के आरोप से बरी हैं। आप रजी. इस मामले में दूसरों की अपेक्षा घटना क्रम में एक खलीफ़: होने के कारण अधिक जानकार तथा गहरी नज़र रखते थे तथा आप रजी. का ईमान भी सब पर भारी था, हजरत खालिद रजी. के साथ व्यवहार में आप रजी. रसूलुल्लाह का अनुसरण कर रहे थे।

हजरत खालिद रजी. बिन वलीद के विषय में एक अन्य आपत्ति यह भी की जाती है कि आप रजी. ने युद्ध के समय मारे गए की पतनी उम्मे तमीम लैला सुपुत्री मिनहाल से शादी की तथा इददत गुज़रने की भी प्रतीक्षा नहीं की। हुजूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला ने इस आपत्ति के उत्तर में हजरत शाह अब्दुल अजीज देहलवी का हवाला बयान फ़रमाया कि वास्तव में यह घटना ही मनघड़त है.....मालिक बिन नुवैरा ने इस महिला को एक लम्बी अवधि से तलाक दे रखी थी तथा उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के आधीन उसे यूँ ही घर में डाल रखा था, इसी मूर्खतापूर्ण प्रथा के तोड़ने पर यह कुर्�আন की आयत अवतरित हुई थी कि- **إِذَا أَطْلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلوْهُنَّ** (सूरः ब़क़रः 233) जब तुम स्त्रियों को तलाक दे दो और उनकी इददत पूरी हो जाए तो उन्हें रोके न रखो। अतः इस महिला की इददत तो कब की पूरी हो चुकी थी और निकाह करना वैध हो चुका था क्योंकि उसने तलाक देकर केवल अपने घर में रखा हुआ था।

हजरत खालिद रजी. बिन वलीद की बनू हनीफा के मुकाबले के उद्देश्य से यमामा की ओर जाने के बारे में आता है कि हजरत अबू बकर रजी. ने आप रजी. को यह आदेश दे रखा था कि क़बीला असद, गतफ़ान और मालिक बिन नुवैरा इत्यादि के काम को पूरा करके यमामा जाएँ तथा इसके बारे में बड़ा सचेत कर रखा था। शरीक रजी. बिन अबदा की रिवायत के हवाले से संक्षिप्त विवरण पेश करने के बाद हुजूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला ने खुत्बः के अन्त में फ़रमाया कि यमामा के युद्ध का विवरण इन्शाअल्लाह आगे बयान होगा।

**أَكْحَدُ اللَّهُ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
 أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
 حُكْمَّاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عِبَادَ اللَّهِ رَحْمَنْ رَحِيمٌ الَّذِي أَنْهَى الْقَرْبَى وَإِيتَاهُ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ  
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِذْ كُرُوا اللَّهُ يَذْكُرُهُمْ وَإِذْ عُذْوَهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.**

हिन्दी अनुवाद को अधिक सुन्दर बनाने हेतु सुझाव का स्वागत है, समर्पक करें-9781831652

टोल फ्री सम्पर्क अहमदिया मुस्लिम जमाअत क़ादियान-18001032131